

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश. / 1949 / 2020

दिनांक 23.10.2020

श्रीमती रीतिका चौहान (RJ0975), विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट(एन.आई. एक्ट) क्रम-03, जोधपुर महानगर को दिनांक 17.11.2020 से 15.05.2021 तक 180 दिनों का मातृत्व अवकाश (प्रथम) दिनांक 13.11.2020 से 16.11.2020 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

सुश्री छवि सिंघल (RJ1217), विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट(एन.आई. एक्ट) क्रम-04, जोधपुर महानगर को श्रीमती रीतिका चौहान के उक्त मातृत्व अवकाश की अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ-साथ विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट) क्रम-03, जोधपुर महानगर के पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित किये जाने हेतु एतद्वारा पदस्थापित / नियुक्त कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं :-

1. ऐसे प्रकरण जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है एवं उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निस्तारण के आदेश पारित है, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे ।
2. सुश्री छवि सिंघल (RJ1217), जिनको विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट(एन.आई. एक्ट) क्रम-03, जोधपुर महानगर के अतिरिक्त कार्यभार के लिए नियुक्त किया गया है, को उक्त न्यायालय के कार्य का निस्तारण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कम से कम 40% किया जाना आवश्यक है ।

आज्ञा से
22/10/2020
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/141/2015/ 4780

दिनांक 23.10.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर महानगर को उनके पत्रांक 4893 दिनांक 08.10.2020 के सन्दर्भ में ।
3. श्रीमती रीतिका चौहान (RJ0975), विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट(एन.आई. एक्ट) क्रम-03, जोधपुर महानगर ।
4. विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट(एन.आई. एक्ट) क्रम-03, जोधपुर महानगर ।
5. सुश्री छवि सिंघल (RJ1217), विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट(एन.आई. एक्ट) क्रम-04, जोधपुर महानगर ।
6. विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट(एन.आई. एक्ट) क्रम-04, जोधपुर महानगर ।
7. संबंधित कोषालय ।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर ।

सहायक रजिस्ट्रार